न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बहसलास :- गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28 / 2021

कोयल कंवर पत्नी सत्यनारायण दरोगा निवासी ग्राम दांतरी, तहसील मौजमाबाद, हाल दूदू, जिला जयपुर।

(अपीलार्थी)

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र कानाराम जाति दरोगा निवासी दांतरी, तहसील मौजमाबाद, हाल तहसील दूदू, जिला जयपुर (मृतक) के वारिसान

1/1. प्रेम देवी बेवा राधेश्याम जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील दूदू, जिला जयपुर

1/2 मनोहर पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

1/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

1/4 भूरी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

1/5 मेना देवी पुत्री राधेश्याम जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील दूदू, जिला जयपुर

2. मदनलाल पुत्र कानाराम जाति दरोगा निवासी दांतरी तहसील मौजमाबाद, हाल दूदू, जिला जयपुर ।

3. ग्राम पंचायत दांतरी जरिये सरपंच/सचिव तहसील मौजमाबाद, हाल दूदू,जयपुर ।

4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, हाल दूदू जिला जयपुर राज0।

(रिस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 24.02.2009 एवं सनद कमांक आर.ए./09/273 दिनांक 05.03.2009 तहसीलदार मौजमाबाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

उपस्थित :–

1.श्री रोशन लाल महरानिया विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1/2, 1/3 व 2 की और से ।

निर्णय

दिनांक :– 20.05.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत इस आशय की पेश की कि ग्राम दांतरी में खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.02 बीघा में निवास कर रही है तथा हाल खसरा नम्बर 1866 के लगवा खसरा नम्बर 1867 रकबा 2 बिस्वा किस्म सिवायचक भूमि स्थित है। जिसका उपयोग अपीलान्ट अर्से दराज पूर्व से करती चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने साजशी पूर्वक अपीलान्ट से अडवा उक्त कृषि भूमि का गलत रूप से आदेश पारित करवाकर सनद् अपने नाम जारी करवा ली। सिवायचक कृषि भूमि में जबरन मजाहमत करने की कार्यवाही कर रहे है, तथा अपीलान्ट के उपयोग उपभोग में भी बाधा कारित कर रहे है। सिवायचक कृषि भूमि का गलत रूप से सनद् रेस्पाडेन्ट को जारी की है, जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्न आधारो पर प्रस्तुत है। यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2009 एवं प्रदत्त सनद् दिनांक 05.03.2009 अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट व आम ग्रामवासी आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग अर्से दराज से करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 1867 भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्य 1 व 2 द्वारा नाजायज रूप से अपीलांट से नाहक रंजीश रखने के कारण अपीलान्ट की उक्त कब्जेशुदा भूमि व रास्ते पर छडियॉ डालकर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कुछ समय पूर्व की थी। जिस पर तहसीलदार महोदय ने स्वयं रेस्पोडेन्ट का नाजायज कब्जा मानते हुये उसे बेदखल किया था। इस बाबत् हल्का पटवारी रिपोर्ट भी हुई थी। इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट व अवैध रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की जो रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की है वह भी तथ्यों के विपरित है तथा कई जगह कांट छांट की गई है। उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा स्वयं यह तथ्य मानना कि उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण है ओर उक्त भूमि की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना दोनो संदेहास्पद है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.10.2008 में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट कॉलम नम्बर 1 में राधेश्याम का नाम अलग से अंकित किया है तथा कॉलम नम्बर 9 में एन.एच. 8 से दूरी अंकित की है। उसमें 50 फीट के आगे एक अंकित कर 150 फीट दूरी लिखी गई है। जबकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से बमुश्किल 46–47 गज की दरी पर स्थित है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजकीय कर्मचारियों से साज कर लाखों रूपये की राजकीय कृषि भूमि पर अवैध रूप से जो पट्टा जारी किया गया है उससे पूर्व न तो सार्वजनिक रूप से सूचित किया गया, न ही अपीलान्ट को कोई जानकारी दी गई। बाला–बाला उक्त भूमि का अवैध रूप से किया गया अन्तरण राज्य सरकार को लाखों रूपये की चपत लगाना एक गम्भीर कार्यवाही है, ग्रामवासियों के हितों को अनदेखा कर व उक्त भूमि में सरकारी पटवार घर की पुख्ता सीडीयॉ निर्मित है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजकीय कर्मचारी उसी रास्ते से आते जाते है अन्य वैकल्पीक रास्ता नही है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22.06.2015 को हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध रूप से छडियॉ डालकर अपीलान्ट के आने जाने आम रास्तो को बंद करने की कुचेष्टा की व अपीलान्ट की रखी हुई छडियों को नष्ट करने की कुचेष्टा की तो अपीलान्ट ने तहसीलदार के यहां अतिकमण हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तो तहसील के कर्मचारियों ने अपीलान्ट को अवगत करवाया की उक्त भूमि पर वर्ष 2009 में ही सनद् जारी करने के आदेश पारित किये जा चुके है। पटवारी हल्का स्वयं दिनांक 30.01.2014 को उक्त भूमि बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर चालू रास्ता नजरिये नक्शे द्वारा दर्शित करना अंकित किया है तो किस प्रकार से सनद् रेस्पोडेन्ट की प्रदत्त की जा सकती है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को दिनांक 01.07.2015 को प्राप्त हुई अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की विधवा महिला है जिसको उक्त तथ्य की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 01.07.2015 को नकल प्राप्त होने पर तथा उक्त आदेश की कानूनी जानकारी कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। देरी महज उक्त आदेश की जानकारी नहीं होना मात्र है। अतः अपील गुणावगुण पर निर्णित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश तहसीलदार मौजमाबाद दिनांक 24.02.2009 एवं सनद् कमांक आर.ए./09/273 दिनांक 05.03.2009 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अवैध रूप से ग्राम पंचायत दांतरी के आराजी खसरा नम्बर 1867 रकबा 2 बिस्वा भूमि की सनद् को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के हक में उक्त भूमि की सनद् जारी करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद चौधरी ने वकालतनामा पेश किया ।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अपील का जवाब का सार संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी ग्राम दांतरी की मूल निवासी नहीं है तथा ग्राम दांतरी के खसरा संख्या 1866 रकबा 0.02 हैक्ट0 गै0मु0 चाह है जो अपीलार्थी ने पूर्व रिकार्डेड खातेदार काना पुत्र भंवरलाल माली से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 23.06.2007 को कय की थी। जिसके आधार पर अपीलार्थी का नामानतरकरण संख्या 1511 दिनांक 06.08.2007 को स्वीकार हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि ख0नं0 1866 रकबा 0.02 है0 जो पूर्व में गैर मुमकिन चाह थी ओर आज भी मौके पर गे0मु0 चाह है। अपीलार्थी अपने पति के साथ गांव में पक्के मकान में निवास करती है। उक्त विवादित भूमि ख0नं0 1867 रकबा 0.02 हैक्ट0 सिवायचक थी जिसमें मिन रेस्पोडेन्ट का कदीमी बाड़ा है जिसमें चारा फूस, मवेशी एवं खेती के औजार आदि रखे है। उक्त बाडे को रेस्पोडेन्ट शुरू से काम में लेते आ रहे है। मिन रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा होने से परिपत्र संख्या एफ 6(17)राज/ख/71 दिनांक 02 जुलाई 1971 के तत्पश्चात क 9(6) 2000/01 दिनांक 11.01.2008 के अनुसरण में सरकारी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात बाडा नियमन के लिए अनाधिकृत कब्जे के तहत नियमन किया है। चूंकि अपीलार्थी स्वयं ने पूर्व रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार कानाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03.06.2007 को उक्त समीप की भूमि खसरा संख्या 1866 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कय की है। इसलिये उक्त विवादित भूमि ख0नं0 1867 रकबा 0.02 है0 सिवायक गै0मु0 बाडा पर पूर्व से कोई कब्जा या कानूनी अधिकार नहीं है। ख0 नं0 1866

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह तथा खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.02 है0 पूर्व में सिवायचक होने से एवं पुराना बाडा होने से किया है तथा वर्तमान रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में है। रेस्पोडेन्ट के पास अन्य कोई बाडा नहीं है। पटवारी ने पुश्तैनी कब्जे की रिपोर्ट सही की है तथा ग्राम पंचायत दांतरी ने मिन रेस्पोडेन्ट के हक में नियमन करने की सिफारिश एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2008 जारी की है। तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका देखकर मजमें आम जांच कर यह पाया गया कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का पुश्तैनी बाडा बना है तथा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त बाडा पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य हे। जिसके आधार पर उक्त विवादित बाडा ख0न0 1867 का नियमन मिन रेस्पोडेन्ट के हक में कानूनन सही किया है। उक्त भूमि की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग से 150 गज दूरी से ज्यादा है। पटवार भवन की सिढियॉ एवं रास्ता आबादी भूमि खसरा संख्या 1868 में से होकर है। राज्य सरकार के जारी परिपत्र कि पूर्ण पालना के ग्राम पंचायत की अनापत्ति ली गई है तथा तहसीदार द्वारा 17 बिन्दुओं की जॉच करने के बाद उक्त नियमन कर सनद् जारी करने के आदेश जारी किया है। रेस्पोडेन्ट का वर्ष 1997 में से निरन्तर बाडा बना हुआ तथा आज भी मौके पर चारा कृषि का सामान पशु बांधने के काम आ रहा है तथा उक्त विवादित आराजीयात की जानकारी सन् 2008 से जब उसने खसरा संख्या 1866 रकबा 0.02 है0गै0मु0 चाह 2008 काना पुत्र भंवरलाल माली से क्रय की है जिसके नामान्तरकरण संख्या 57 की नकल प्रस्तुत है तभी से जानकारी थी। अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि को सार्वजनिक बता रही है तथा दूसरी ओर वह अपने पक्ष में नियमन करवाना चाहती है। अपील मियाद बाहर है। 1999 में धारा 91 एल.आर.एक्ट कि कार्यवाही में बाडा बताया है तथा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार 01.01.2000 से पूर्व भूमिहीन चयनित परिवारों का यदि सिवायचक भूमि पर खाम मकान व बाडा को नियमन करने के अधिकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार को अधिकृत कर सनद् जारी करने का अधिकार दिया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज फरमाया जावें।

4. प्रकरण में पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दांतरी में खसरा संख्या 1866 रकबा 0.02 बीघा में निवास कर रही हैं, तथा ख0नं0 1866 के लगवां खसरा नम्बर 1867 रकबा 2 बिस्वा किस्म सिवायचक का उपयोग भी अपीलान्ट अर्से दराज पूर्व से करती चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने साजशी पूर्वक अपीलान्ट से अडवा उक्त कृषि भूमि का गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करवाकर सनद् अपने नाम जारी करवा ली, तथा सिवायचक कृषि भूमि में जबरन मजाहमत करने की कार्यवाही कर रहे है व अपीलान्ट के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर रहे है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर दिनांक 24.02.2009 एवं सनद् कमांक आर.ए./09/273 दिनांक 05.03.2009 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अवैध रूप से ग्राम पंचायत दांतरी के आराजी खसरा संख्या 1867 रकबा 2 बिस्वा भूमि की सनद् जारी की गई को निरस्त फरमाया जावें, तथा अपीलान्ट के हक में उक्त भूमि की सनद् जारी करने के आदेश प्रदान करें।

5. रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस का जवाब मदवार पेश कर निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.02 हैक्टेयर सिवायचक थी। जिसमें मिन रेस्पोडेन्ट का कदीमी बाडा बना है, जिसमें रेस्पोडेन्ट चारा, फूस, मवेशी एवं खेती के औजार आदि बाडे के रूप में शुरू से आज तक भी काम में आ रहा है। पुराना कब्जा होने से परिपत्र संख्या

एफ 6(17)राज/ख.71 दिनांक 02 जुलाई 1971 के पश्चात क 9(6) 200/01 दिनांक 11.01.2008 के अनुसरण में सरकारी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात बाडा नियमन के लिए अनाधिकृत कब्जे के तहत रेस्पोडेन्ट के हक में नियमन किया है। नियमन का प्रकरण सरकार व आवंटी के बीच है इसलिए अपीलार्थी को सुनने की कोई कानूनन आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई नियमन आदि के लिए भी प्रार्थना पत्र नहीं है। अतः उक्त अपील सारहीन होने से व प्रथम दृष्टया मियाद बाहर होने व धारा 96 जा0दी0 नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है। इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि एक ओर अपीलाथियॉ उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग की बता रही है तथा दूसरी और खसरा नम्बर 1866 गैर मुमकिन चाह पर अपना आवास बताकर नियमन कराना चाहती है तथा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत दांतरी द्वारा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कदिमी बाडा मानते हुए तहसीलदार को नियमन करने की सिफारिश की है। इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद की पत्रावली का अवलोकन किया तथा संबंधित कानून के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का दांतरी से बिन्दूवार जांच रिपोर्ट ली गई है। सम्वत् 2056 से लगातार कब्जा रिपोर्ट, पटवारी की 17 बिन्दूओं की जॉच रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के आधार पर लगातार कब्जा मानते हुये नियमन की सभी शर्तो का पालन किये जाने पर भूमि नियमन योग्य मानी जाकर बाडा हेतु नियमन किये जाने के आदेश पारित किये है। 5 रूपये नियमानुसार पट्टा फीस वसूल करते हुये सनद् पट्टा जारी किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से यह जाहिर है कि तहसीलदार मौजमाबाद ने अप्रार्थी संख्या 1 ल0 2 को नियमन आदेश एवं सनद् पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रूटी होना नही पाई गई है। अपीलाधीन आदेश एवं सनद् कमांक आर.ए./09/273 दिनांक 05.03.2009 में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद का आदेश दिनांक 24.02.2009 एवं सनद् कमांक आर.ए./09/273 को यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट के अपील में वर्णित तथ्य साबित नही होने से प्रार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत तहसीलदार मौजमाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू